



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश  
8, अरेरा हिल्स, जेलरोड, भोपाल



क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/1203  
प्रति,

भोपाल दिनांक: 26-10-2021

आयुक्त  
चिकित्सा शिक्षा,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल  
मध्यप्रदेश।

विषय:- कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन दिनांक 01/10/2021 से 89 दिवस तक दी गई स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:- एनएचएम के परिपत्र क्र./एनएचएम/एचआर/सेल-1/2021/ 444 दिनांक 28/09/2021

उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र के माध्यम से कोविड -19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं में अस्थायी मानव संसाधन को रखने हेतु दिनांक 01/10/2021 से 89 दिवस तक चाहे गये पदों की स्वीकृति अनुरूप आवश्यकता का आंकलन कर अस्थायी मानव संसाधन की अनुमति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा चाहे गये पदों की स्वीकृति पर दिनांक 22/10/2021 तक जो अस्थायी मानव संसाधन 89 दिवस तक रखा गया है एवं जिन पदों पर अस्थायी मानव संसाधन की पूर्ति नहीं की गई है एवं वर्तमान में रिक्त है, उन अस्थायी मानव संसाधन को दिनांक 22/10/2021 के पश्चात बिना मिशन कार्यालय की अनुमति के ना भरा जावे।

दिनांक 22/10/2021 के उपरान्त अस्थायी मानव संसाधन कि आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित पदों के प्रस्ताव का आंकलन करते हुये प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

(अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(प्रियंका दास)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक: 26-10-2021

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/1203  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
6. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
7. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम. म.प्र.।
8. संचालक, एन.एच.एम. म.प्र.।
9. संचालक वित्त, एन.एच.एम. म.प्र.।
10. उप संचालक आई.टी एनएचएम की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
मध्यप्रदेश